ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के विविध आयामः कुमाऊँ हिमालय के पर्वतीय जनपदों का तुलनात्मक अध्ययन

डाॅ विजेता सत्याल[1], प्रो0 एच0 सी0 जोशी[2], डाॅ. जितेन्द्र कुमार लोहनी[3]

सारांश

महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के समावेशी और सतत विकास का मुख्य आधार है। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना हमेशा से एक नीतिगत प्राथमिकता रही है। उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और मनी-ऑर्डर अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ के पर्वतीय अंचलों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैए जहाँ वे कृषि से लेकर गृह-प्रबंधन तक की धुरी हैं। प्रस्तुत शोध पत्र कुमाऊँ हिमालय के तीन प्रमुख पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों का एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह अध्ययन विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की घरेलू निर्णय-निर्माण प्रक्रिया, वित्तीय स्वायत्तता, पारिवारिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, परंतु पूर्ण निर्णय-निर्माण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर केंद्रित नीतियों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्दः ज्ञमलूवतकेद्धरू ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, घरेलू निर्णय, कुमाऊँ, हिमालय, वित्तीय, स्वायत्तता

1.0 प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक न्याय या मानवाधिकार का विषय नहीं है, बल्कि यह किसी भी समाज के आर्थिक रूपान्तरण और सतत विकास की अनिवार्य पूर्व–शर्त है। 21वीं सदी के आर्थिक परिदृश्य में यह स्वीकार किया गया है कि लैंगिक समानता के बिना आर्थिक संवृद्धि के अधूरी और एकांगी है। वैश्विक स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी प्रख्यात पुस्तक 'डेवलपमेंट एज फ्रीडम' में स्पष्ट किया है कि वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाओं की एजेंसी और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विस्तार हो। सेन के अनुसार, महिलाओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानने के बजाय उन्हें आर्थिक और सामाजिक बदलाव का सक्रिय एजेंट स्वीकार किया जाना चाहिए।[1]इसी क्रम में, नारीवादी अर्थशास्त्री नैला कबीर ने महिला सशक्तिकरण को संसाधनों, एजेंसी और उपलब्धियों के एक अंर्तसंबंधित ढांचे के रूप में परिभाषित किया है।[2] उनका तर्क है कि महिलाओं के पास वित्तीय संसाधनों तक पहुंच होने मात्र से वास्तविक सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं है, जब तक कि उनके भीतर स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण जीवन विकल्प चुनने और घरेलू व सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित न हो।[3] विकास अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एस्तेर डुफ्लो का व्यावहारिक शोध यह स्थापित करता है कि जब महिलाओं के हाथों में आर्थिक संसाधनों का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, तो वे स्वास्थ्य, पोषण और बाल शिक्षा जैसे उत्पादक घरेलू निर्णयों को पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक प्राथमिकता देती हैं, जिससे संपूर्ण परिवार का कल्याण सुनिश्चित होता है।[4]

[1] अर्थशास्त्र विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड
[2] प्रोफसर, अर्थशास्त्र विभाग, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड
[3] असिस्टेंट प्रोफसर, अर्थषास्त्र विभाग, कुमाऊॅ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, प्रख्यात विकास अर्थशास्त्री जयती घोष ने विकासशील देशों में महिलाओं के श्रम और आर्थिक अधिकारों पर गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। घोष का मत है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य और घरेलू श्रम को अक्सर आर्थिक गणनाओं में अदृश्य कर दिया जाता है, जबकि वे ग्रामीण सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक रीढ़ हैं। उनके अनुसार, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता तभी सार्थक हो सकती है जब वह महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और बाजार में मोलतोल करने की शक्ति प्रदान करे।[5] इसी तरह, देवकी जैन ने ग्रामीण महिलाओं के समय–उपयोग के माध्यम से यह दर्शाया है कि महिलाओं का आर्थिक योगदान और उनके घरेलू निर्णयों के बीच सीधा संबंध है, लेकिन सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं उनकी आर्थिक स्वायत्तता को सीमित कर देती हैं।[6]

ग्रामीण समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके आर्थिक अधिकारों के अंतर्संबंध को स्पष्ट करते हुए बिना अग्रवाल ने भूमि और संपत्ति अधिकारों पर ऐतिहासिक कार्य किया है। अग्रवाल का यह स्थापित सिद्धांत है कि केवल रोजगार या नकद सहायता की तुलना में अचल संपत्ति या स्वतंत्र आर्थिक संपत्तियों पर नियंत्रण महिलाओं की सामाजिक सौदेबाजी की शक्ति को अत्यधिक मजबूत करता है। उनका शोध यह सिद्ध करता है कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा या उत्पीड़न के बीच एक विपरीत संबंध होता हैय अर्थात् आर्थिक अधिकार बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है और घरेलू स्तर पर उनका उत्पीड़न कम होता है।[7] इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का आधुनिक दृष्टिकोण यह रेखांकित करता है कि श्रम बल में लैंगिक असमानता को कम करना और वित्तीय स्वावेशन के माध्यम से महिलाओं को स्वतंत्र आर्थिक अधिकार देना सीधे तौर पर व्यापक आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है।[8] नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक

स्वायत्तता आज भी एक बड़ी संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है, जिसके समाधान के लिए स्थानीय और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल रणनीतियों की आवश्यकता है। इन व्यापक वैश्विक और राष्ट्रीय सिद्धांतों को जब हम क्षेत्रीय स्तर पर लागू करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, पारिस्थितिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियां एक सर्वथा भिन्न परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। विषम पर्वतीय भूभाग, खंडित कृषि जोत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक रूप से 'मनी–ऑर्डर अर्थव्यवस्था' के रूप में देखा गया है, जहां कार्यशील पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाता है।[9] ऐसी स्थिति में, पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी पूरी तरह से महिलाओं पर टिक जाती है। वे न केवल कृषि और पशुपालन का कठिन श्रम संभालती हैं, बल्कि संपूर्ण घरेलू प्रबंधन की प्राथमिक संचालक भी हैं।

राष्ट्रीय स्तर के इन व्यापक सिद्धांतों को जब हम क्षेत्रीय स्तर पर लागू करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, पारिस्थितिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियां एक सर्वथा भिन्न परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। विषम पर्वतीय भू–भाग, खंडित कृषि जोत और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक रूप से मनी–ऑर्डर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है, जहां कार्यशील पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाता है।[10] ऐसी स्थिति में, पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण समाज और संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी पूरी तरह से महिलाओं पर टिक जाती है। वे न केवल कृषि और पशुपालन का कठिन श्रम संभालती हैं, बल्कि संपूर्ण घरेलू प्रबंधन की प्राथमिक संचालक और निर्णयकर्ता भी हैं।

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्र, विशेष रूप से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद, भौगोलिक निरंतरता और सांस्कृतिक समानता साझा करने के बावजूद आंतरिक बुनियादी ढांचे, बाजार तक पहुंच और आर्थिक विकास के स्तरों में उल्लेखनीय भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इन जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सक्रिय महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का उनके वास्तविक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह एक अत्यंत समसामयिक और प्रासंगिक जांच का विषय है। क्या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ते कदम वास्तव में उनके व्यावहारिक घरेलू निर्णय–निर्माण, व्यक्तिगत वित्तीय स्वायत्तता

(जेब खर्च पर नियंत्रण), पारिवारिक सुरक्षा (उत्पीड़न से मुक्ति) और स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं (चिकित्सालय चयन की तत्परता) में परिलक्षित हो रहे हैं?

प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं विविध आयामों को केंद्र में रखकर, ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक समंकों के आधार पर कुमाऊं हिमालय के इन तीन पर्वतीय जनपदों का एक व्यावहारिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन न केवल इन तीनों जनपदों के बीच महिलाओं की स्थिति के अंतर को उजागर करेगा, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक व्यावहारिक और लैंगिक–उत्तरदायी विकास नीतियों के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा।

2.0 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्न उद्देश्यों को केन्द्रित कर किया गया है –

1. आर्थिक स्वायत्तता और व्यय निर्णय क्षमता के मूल्यांकन का अध्ययन करना।
2. घरेलू निर्णय–निर्माण और श्रम मूल्यांकन का परीक्षण करना।
3. पारिवारिक एजेंसी और नियंत्रण संरचना का अध्ययन करना।
4. सामाजिक सुरक्षा और उत्पीड़न की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
5. स्वास्थ्य व्यवहार और चिकित्सालय चयन की प्राथमिकताओं की जांच करना।

3.0 अनुसंधान पद्धति

3.1 अध्ययन का क्षेत्र एवं क्षेत्र–चयन – प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के चयनित पर्वतीय जनपदों – अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में ग्रामीण परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा विशेष रूप से परिवार के निर्णय–निर्माण, महिलाओं की भागीदारी, आर्थिक स्वायत्तता एवं उनके कार्य और योगदान के मूल्यांकन से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया है। शोध की प्रकृति तुलनात्मक और विवरणात्मक है। अध्ययन क्षेत्र का चयन इस प्रकार किया गया है कि कुमाऊँ क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक एवं सामाजिक–आर्थिक परिवेशों का प्रतिनिधित्व नमूने में सुनिश्चित हो सके। नमूना–चयन की प्रक्रिया को बहु–स्तरीय नमूना–चयन पद्धति के रूप में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम स्तर पर जिलों का चयन, द्वितीय स्तर पर विकासखण्डों का चयन (जिले में उपलब्ध कुल विकासखण्डों में से लगभग 25 प्रतिशत विकासखण्डों का चयन अध्ययन हेतु किया गया, इस प्रकार तीनों जिलों से कुल 6 विकासखण्डों को अध्ययन के लिए चयनित किया गया।) तथा तृतीय स्तर पर चयनित विकासखण्डों के परिवारों का चयन (प्रत्येक चयनित विकासखण्ड के कुल परिवारों में से 0.35 प्रतिशत परिवारों को अध्ययन के लिए नमूना के रूप में लिया गया) किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयनित छह विकासखण्डों से कुल 329 परिवारों को अंतिम नमूने में शामिल किया गया।

3.2 प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन – अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े चयनित 329 परिवारों से प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए गए। इसके लिए संरचित अनुसूची/प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। द्वितीयक आँकड़ों के लिए जनगणना रिपोर्ट, उत्तराखण्ड सरकार के संबंधित विभागों की रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएँ, सरकारी प्रकाशन, शोध–पत्र, शोध–प्रबंध, पुस्तकों तथा अन्य प्रासंगिक प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों का उपयोग किया गया।

3.3 अध्ययन के प्रमुख चर एवं संकेतक – अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा महिलाओं की भूमिका का आकलन करने के लिए विभिन्न संकेतकों को शामिल किया गया। इनमें परिवार का आकार, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आय, परिवार की

आर्थिक स्थिति आदि सामाजिक–आर्थिक चर हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की निर्णय–निर्माण में भागीदारी, आर्थिक स्वतंत्रता, घरेलू कार्यों में योगदान, कार्य के मूल्यांकन तथा वित्तीय/संस्थागत बचत जैसे संकेतकों को महिला सशक्तीकरण एवं आर्थिक सहभागिता के प्रमुख आयामों के रूप में लिया गया है।

4.0 परिणाम एवं चर्चा

उत्तराखंड की संपूर्ण पर्वतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण समाज का ताना–बाना मुख्य रूप से महिला श्रम पर टिका हुआ है। ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएँ कृषि, पशुपालन, चारा–लकडी एकत्र करने से लेकर समस्त घरेलू उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं। सुबह से शाम तक बिना विश्राम किए कठिन शारीरिक श्रम करने के कारण वे अत्यधिक कार्य–बोझ और कुपोषण जनित स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित रहती हैं। यद्यपि परिवार के सुचारू संचालन में उनके इस योगदान को सामाजिक स्तर पर स्वीकार्यता या मान्यता तो प्राप्त है, परंतु जब बात वित्तीय स्वायत्तता, नीति–निर्धारण में भागीदारी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वयं के स्वास्थ्य अधिकारों की आती है, तो पितृसत्तात्मक संरचना और क्षेत्रीय भिन्नताएँ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती हैं। तालिका संख्या 01 में न्यादर्श परिवार के महिला उत्तरदाता की स्थितियों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात होता है, कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में घरेलू क्रियाकलापों, दैनिक मामलों एवं परिवार की प्रमुख आजीविका गतिविधियों में महिलाओं से परामर्श की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए 329 न्यादर्श परिवारों से प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए गए। प्राप्त परिणामों में केवल उन महिला उत्तरदाताओं के आंकड़ें को रेखांकित किया गया है, जिन्होंने निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी पर हां में अपनी सहमति व्यक्त की है।

तालिका संख्या– 01

न्यादर्श परिवार की महिला उत्तरदाताओं की स्थिति

क्र. सं.	न्यादर्श परिवार की महिलाओं की स्थिति से संबंधित मुख्य बिन्दु	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	कुल
1.	घरेलू कियाकलापों/मामलों एवं प्रमुख गतिविधियों में न्यादर्श परिवार की महिलाओं से परामर्श की स्थिति	61.33	32.98	41.46	48.02
2.	न्यादर्श परिवारों में महिला सदस्यों के कार्य एवं योगदान के मूल्यांकन की स्थिति	76.66	55.67	58.53	65.95
3.	न्यादर्श परिवार की महिलाओं की बैंक/संस्थागत बचत की स्थिति	78.66	80.41	80.48	79.63
4.	न्यादर्श परिवार की महिलाओं के पास स्वयं के विवेक से जेब खर्च के उपयोग का निर्णय	94.00	84.53	85.36	89.05
5.	परिवारिक सदस्यों से सलाह लिए बिना स्वतंत्र रूप से खर्च करने का निर्णय	88.66	71.13	74.39	79.93
6.	परिवारिक निर्णय लेने में न्यादर्श परिवारों की महिलाओं की सहभागिता की स्थिति	50.66	42.26	47.56	47.41
7.	न्यादर्श परिवारों में महिलाओं के उत्पीड़न/प्रताड़ना की स्थिति	56.00	62.88	54.87	57.75
8.	न्यादर्श परिवार की महिलाओं के कार्य निर्धारण और उनके समय पर परिवार के अन्य सदस्यों के नियंत्रण की स्थिति	25.33	21.64	23.17	23.70
9.	न्यादर्श परिवार की महिला सदस्यों की बिमारी के प्रति पारिवारिक सदस्यों की तत्परता	57.33	25.77	28.04	40.72
10.	न्यादर्श परिवार की महिलाओं का इलाज कराया जाता हैः				
	(क) सरकारी अस्पताल	86.00	81.44	85.36	84.49
	(ख) निजी अस्पताल	14.00	18.56	14.64	15.51

स्रोत – प्राथमिक समंक

4.1 घरेलू क्रियाकलापों/मामलों एवं प्रमुख गतिविधियों में न्यादर्श परिवार की महिलाओं से परामर्श की स्थिति

दैनिक घरेलू क्रियाकलापों और प्रमुख गतिविधियों में परामर्श के संदर्भ में न्यादर्श अल्मोड़ा जनपद का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अल्मोड़ा जनपद 61.33 प्रतिशत के साथ सबसे सुदृढ़ स्थिति में है। यह दर्शाता है कि अल्मोड़ा के ग्रामीण समाजों में महिलाओं के दृष्टिकोण को सापेक्षिक रूप से अधिक अधिमान दिया जाता है, जिससे दैनिक निर्णयों में उनकी स्थिति बेहतर है। ममगाई (2024) के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाह्य प्रवास के कारण महिलाओं पर कृषि और दैनिक श्रम का भार बढ़ जाता है, लेकिन जब तक उनके पास परिसंपत्तियों पर संस्थागत अधिकार नहीं होते, तब तक प्रमुख पारिवारिक निर्णयों में पितृसत्तात्मक संरचना के कारण पुरुषों का वर्चस्व बना रहता है। यही कारण है कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में महिलाओं का कार्यभार अधिक होने के बावजूद निर्णयों में उनकी परामर्श दर कम पाई गई है।[11]

सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे अत्यंत सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में यह सकारात्मक प्रतिक्रिया (हां) देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 32.98 है, जो तीनों जनपदों में सबसे न्यूनतम और चिंताजनक है। भौगोलिक दुर्गमता, जागरूकता के अभाव और सुदूर सीमांत क्षेत्रों में व्याप्त गहरी पितृसत्तात्मक सोच के कारण पिथौरागढ़ की लगभग 67.02 प्रतिशत महिलाओं को दैनिक घरेलू मामलों और मुख्य गतिविधियों से जुड़े निर्णयों में परामर्श के योग्य ही नहीं समझा जाता। यह इस कटु सत्यता को प्रमाणित करता है कि सीमांत क्षेत्रों में महिलाएं खेतों और घरों का सारा कठिन शारीरिक श्रम तो वहन करती हैं, परंतु निर्णय प्रक्रिया के अधिकार से उन्हें पूरी तरह वंचित रखा जाता है। जनपद बागेश्वर की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 41.46 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है। यद्यपि यह स्थिति पिथौरागढ़ जनपद से बेहतर है, तथापि यह आंकडा भी स्पष्ट करता है कि यहाँ की आधे से अधिक 58.54 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं दैनिक गतिविधियों के निर्णयों में मूक दर्शक बनी हुई हैं।

सम्पूर्ण न्यादर्श का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि मात्र 48.02 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है। सांख्यिकीय दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि 329 में से केवल 158 महिलाओं द्वारा ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है, जबकि शेष 51.98 प्रतिशत महिलाएं (171 महिलाएं) आज भी बिना किसी वैचारिक स्वतंत्रता के केवल एक श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं। यह निष्कर्ष पर्वतीय महिला अधिकारिता और सामाजिक न्याय के मार्ग में एक बहुत बड़ी संरचनात्मक बाधा को इंगित करता है।

4.2 न्यादर्श परिवारों में महिला सदस्यों के कार्य एवं योगदान के मूल्यांकन की स्थिति

न्यादर्श परिवारों में महिला सदस्यों के कार्य एवं योगदान के मूल्यांकन की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि, ग्रामीण पारिवारिक संरचना में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता किस प्रकार की है क्या परिवार के सदस्य (विशेषकर पुरुष, सास, ससुर, देवर, नन्द एवं परिवार के अन्य सदस्य) सुबह से शाम तक खेतों, जंगलों और चूल्हे–चौके में किए जाने वाले महिलाओं के कठिन शारीरिक श्रम (Drudgery) को महत्व देते हैं? और उसका सकारात्मक मूल्यांकन करते हैं। पर्वतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह महिला श्रम पर टिकी हुई है, इसलिए सामान्यतः अधिकाशं परिवारों में उनके काम एवं योगदान की पहचान स्वीकार की जाती है।

न्यादर्श जनपद अल्मोड़ा का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जनपद अल्मोड़ा में सर्वाधिक 76.66 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि परिवार के सदस्य उनके कठिन कार्य और योगदान का सकारात्मक मूल्यांकन करते हैं। यह इस बात का सूचक है कि अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के श्रम को न केवल देखा जाता है, बल्कि उसे पारिवारिक सुदृढ़ता का मुख्य आधार मानकर सम्मान भी दिया जाता है। न्यादर्श जनपद पिथौरागढ़ का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है, कि अंतराष्ट्रीय सीमाओं से लगे अत्यंत सीमांत जनपद पिथौरागढ़

में यह प्रतिशत घटकर मात्र 55.67 प्रतिशत रह जाता है, जो तीनों जनपदों में न्यूनतम है। यह स्थिति एक गहरे सामाजिक अंतर्विरोध को जन्म देती है। भौगोलिक दुर्गमता और सीमांतता के कारण पिथौरागढ़ की महिलाओं पर दैनिक कार्यों (जैसे घास–लकडी लाना, पानी ढोना, कृषि कार्य) का बोझ अन्य जनपदों की तुलना में कहीं अधिक है, इसके बावजूद लगभग 44.33 प्रतिशत परिवारों में उनके इस भारी योगदान का कोई मूल्यांकन या सराहना नहीं की जाती। उन्हें केवल एक पारंपरिक मूक श्रमिक मान लिया जाता है, जिससे महिलाओं में मानसिक कुंठा और उपेक्षा की भावना का जन्म होता है। जनपद बागेश्वर की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 58.53 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है, जो पिथौरागढ़ से मामूली सी बेहतर है, परंतु अभी भी यह दर्शाता है कि यहाँ की लगभग 41.47 प्रतिशत महिलाओं के घरेलू व आर्थिक योगदान को परिवार के सदस्यों द्वारा सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

सम्पूर्ण न्यादर्श का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 65.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है। सांख्यिकीय दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि 329 में से केवल 217 महिलाओं के कार्य को परिवार में सराहा जाता है, जबकि शेष 34.05 प्रतिशत (112 महिलाएं) आज भी बिना किसी सामाजिक व पारिवारिक पहचान के कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण आर्थिकी पूरी तरह महिला श्रम पर आधारित है, जिसे अर्थशास्त्री अक्सर अदृश्य अर्थव्यवस्था (Invisible Economy) का नाम देते हैं।[12] न्यादर्श क्षेत्र का अध्ययन के करने पर ज्ञात होता है कि पहले बिंदु (निर्णय प्रक्रिया में परामर्श) और इस दूसरे बिंदु (कार्य के मूल्यांकन) की तुलना करने पर एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के श्रम की पहचान (65.95 प्रतिशत) तो फिर भी कर ली जाती है, परंतु जब उसी श्रम से अर्जित संसाधनों के प्रबंधन और निर्णय की बात आती है, तो पितृसत्तात्मक संरचना के कारण उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है।

4.3 न्यादर्श परिवार की महिलाओं की बैंक/संस्थागत बचत की स्थिति

न्यादर्श परिवारों की महिलाओं की बैंक या संस्थागत बचत की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का स्तर क्या है? न्यादर्श जनपद बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जनपद बागेश्वर (80.48 प्रतिशत) तथा अत्यंत सीमांत जनपद पिथौरागढ़ (80.41 प्रतिशत) में महिलाओं की संस्थागत बचत की स्थिति सबसे मजबूत पाई गई है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का यह आंकड़ा अत्यंत उत्साहजनक है। यह दर्शाता है कि सुदूरवर्ती और सीमांत क्षेत्रों में भी सरकारी योजनाओं (जैसे जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी) और सामाजिक चेतना के कारण लगभग 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के पास अपने बैंक खाते हैं और वे वित्तीय रूप से सक्रिय हो रही हैं। न्यादर्श अल्मोड़ा जनपद की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 78.66 प्रतिशत महिलाओं द्वारा बताया गया कि उनका बैंक में खाता है, यद्यपि यह प्रतिशत अन्य दो जनपदों से मामूली रूप से कम है, तथापि यह आंकड़ा भी यह प्रमाणित करता है कि यहाँ की अधिकांश महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से जुड़ चुकी हैं और अपनी छोटी–बड़ी बचतों को सुरक्षित रखने के लिए संस्थागत माध्यमों का उपयोग कर रही हैं।

सम्पूर्ण न्यादर्श का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 79.63 प्रतिशत महिलाओं का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ यह है कि 329 में से 262 महिलाओं ने बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपनी बचत और खाता होने की बात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जबकि केवल 20.37 प्रतिशत (67 महिलाएं) ही ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक बैंक/पोस्ट आफिस में अपना स्वयं का खाता होने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्राप्त आंकड़ों की यह सकारात्मक प्रवृत्ति मिश्रा एवं पटनायक (2021) के निष्कर्षों की भी पुष्टि करती है, जिसके अनुसार जन धन खातों और संस्थागत बचतों ने ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को मजबूत कर उनके आर्थिक आत्मविश्वास को एक नया आधार दिया है।[13] हालांकि, यह वित्तीय सक्रियता महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा

पैमाना है, परंतु यह देखना भी आवश्यक होगा कि क्या बैंक में खाता होने मात्र से उन्हें उस धन को अपनी मर्जी से खर्च करने की पूरी आजादी भी मिलती है या नहीं।

4.4 न्यादर्श परिवार की महिलाओं के पास स्वयं के विवेक से जेब खर्च के उपयोग का निर्णय

न्यादर्श परिवार की महिलाओं के पास स्वयं के विवेक से जेब खर्च के उपयोग के निर्णय की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर धन व्यय करने की कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। न्यादर्श जनपद अल्मोडा का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 94.00 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। यह अत्यंत उत्साहजनक स्थिति है, जो प्रमाणित करती है कि अल्मोड़ा की ग्रामीण महिलाओं के पास अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं के लिए धन का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है, तथा उन्हें इसके लिए परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। प्रस्तुत शोध के इस निष्कर्ष की पुष्टि डॉ. जी. एस. मेहता (2002) द्वारा गिरी विकास संस्थान के अंतर्गत उत्तराखंड की पर्वतीय आर्थिकी पर किए गए अध्ययनों से भी होती है। मेहता ने अपने शोध पत्र 'Participation of Women in the Economy of Uttarakhand' में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में उच्च पुरुष बाह्य–प्रवासन के कारण ग्रामीण परिवारों में दैनिक आवश्यकताओं और उपभोग के लिए महिलाओं के हाथों में नकदी की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर रहती है। अतः अल्मोड़ा जनपद के अध्ययन से प्राप्त आकड़े ग्रामीण पहाड़ी समाज में महिलाओं के इसी वित्तीय आत्मविश्वास और तात्कालिक आर्थिक स्वायत्तता को पुख्ता करते हैं।[14] अतः न्यादर्श जनपद अल्मोड़ा का यह आकड़ा ग्रामीण पहाड़ी समाज में महिलाओं के इसी वित्तीय आत्मविश्वास और तात्कालिक आर्थिक स्वायत्तता को पुख्ता करता है। इसी संदर्भ में नैला कबीर (1999) का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि हाथ में नकदी होना सशक्तिकरण का पहला चरण है, परंतु दीर्घकालिक बैंक बचतों पर कम नियंत्रण यह दर्शाता है कि वास्तविक निर्णय क्षमता के स्तर पर महिलाएं आज भी पारिवारिक सीमाओं से बंधी हैं।[15]

न्यादर्श जनपद पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जनपद पिथौरागढ़ में 84.53 प्रतिशत तथा जनपद बागेश्वर में यह प्रतिशत 85.36 है। यद्यपि यह आंकड़े भी सांख्यिकीय रूप से सुदृढ़ हैं, परंतु अल्मोड़ा की तुलना में यहाँ की लगभग 15 प्रतिशत महिलाओं को आज भी अपने लिए चूड़ी–बिंदी या कपड़े, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए भी पारिवारिक सदस्यों सहमति लेनी पड़ती है। जिस कारण से बाजार या मेलों में स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं को पूरा नही कर पाती हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों में महिलाओं पर आर्थिक रूप से कुछ बंदिशे अभी भी प्रभावी है। सम्पूर्ण न्यादर्श का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है, कि 89.05 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है। इसका सांख्यिकीय अर्थ यह है कि 329 में से 293 महिलाओं ने अपने विवेक से जेब खर्च के उपयोग पर 'हां' कहा है।

4.5 परिवारिक सदस्यों से सलाह लिए बिना स्वतंत्र रूप से खर्च करने का निर्णय

न्यादर्श जनपदों में पारिवारिक सदस्यों से सलाह लिए बिना स्वतंत्र रूप से खर्च करने के निर्णय की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि महिलाओं को परिवार के मुख्य आर्थिक प्रबंधन में कितनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है। यहां चौथे और पाँचवें बिंदु के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक है। जहां चौथा बिंदु केवल महिला की व्यक्तिगत जरूरतों से संबंधित था, वहीं यह पाचवां बिंदु महिला के पारिवारिक उत्तरदायित्वों का परीक्षण करता है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि क्या महिला बिना किसी पारिवारिक परामर्श या पुरुषों से पूछे, पूरे परिवार के सुचारू संचालन के लिए मुख्यतः जैसे राशन–पानी खरीदना, बच्चों के स्कूल की फीस व किताबों का खर्च उठाना, आकस्मिक बीमारी में दवाइयों पर व्यय करना अथवा बिजली, पानी व अन्य अनिवार्य घरेलू बिलों का भुगतान स्वयं के निर्णय से

कर सकती हैं या नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुष सदस्यों के प्रवासन के बाद घर में नगदी तो महिलाओं के पास होती है, परंतु ऐसे आवश्यक घरेलू खर्चों के लिए भी उन्हें अक्सर पुरुषों या परिवार के बड़ें बुजुगों से अनुमति अथवा सलाह लेनी पड़ती है।

न्यादर्श जनपद अल्मोड़ा की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 88.66 प्रतिशत महिलाओं द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। सांख्यिकीय दृष्टि से यह स्थिति अत्यंत प्रगतिशील है। यह प्रमाणित करता है कि अल्मोड़ा के ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को केवल गृहणी नहीं, बल्कि घर का मुख्य वित्तीय प्रबंधक माना जाता है। न्यादर्श जनपद पिथौरागढ़ में 71. 13 प्रतिशत महिलाओं द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है, जो तीनों जनपदों में न्यूनतम है। यह स्पष्ट करता है कि पिथौरागढ़ जैसे सुदूर सीमांत क्षेत्रों में आज भी लगभग 28.87 प्रतिशत महिलाओं को बच्चों की फीस भरने या घर का जरूरी सामान जैसे राशन–पानी लाने जैसे अनिवार्य कार्यों के लिए भी पुरुषों या परिवार के अन्य सदस्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। न्यादर्श जनपद बागेश्वर में 74.39 प्रतिशत महिलाओं द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है। यद्यपि यह पिथौरागढ़ से बेहतर है, तथापि यह दर्शाता है कि बागेश्वर में भी लगभग एक–चौथाई (25.61 प्रतिशत) ग्रामीण महिलाएं घर के दैनिक व आवश्यक खर्चों को स्वतंत्र रूप से तय करने के अधिकार से वंचित हैं।

सम्पूर्ण न्यादर्श क्षेत्र का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है, कि 79.93 प्रतिशत महिला उत्तरदाता द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गयी है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ यह है कि 329 में से 263 महिलाओं ने बिना किसी पारिवारिक सदस्य से सलाह लिए, घरेलू आवश्यकताओं पर स्वतंत्र रूप से खर्च करने पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

4.6 परिवारिक निर्णय लेने में न्यादर्श परिवारों की महिलाओं की सहभागिता की स्थिति

पारिवारिक निर्णय लेने में न्यादर्श परिवारों की महिलाओं की सहभागिता की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक व पारिवारिक स्थिति का सबसे मुख्य पैमाना यही होता है कि घर के महत्वपूर्ण मामलों और दैनिक व्यवस्था में उनकी राय या सहभागिता को कितनी अहमियत दी जा रही है।

न्यादर्श जनपद अल्मोड़ा में 50.66 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक निर्णय लेने में सहभागिता सर्वाधिक है। यह स्थिति अध्ययन के अन्य जनपदों की तुलना में अधिक प्रगतिशील और सकारात्मक है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि इस जनपद के ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को केवल गृहस्थी और कठिन श्रम तक सीमित न रखकर, घर के महत्वपूर्ण मामलों में उनकी राय को आंशिक रूप से शामिल किया जा रहा है। इसके विपरीत, जनपद पिथौरागढ़ में महिलाओं की पारिवारिक निर्णय लेने में हिस्सेदारी न्यूनतम केवल 42.26 प्रतिशत है। यह निम्न स्तर इस क्षेत्र की एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक और व्यावहारिक सच्चाई को उजागर करता है। कठिन श्रम के बावजूद, जब बात अंतिम पारिवारिक निर्णय की आती है, तो पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच और पुरुष वर्चस्व के कारण उनकी भूमिका सीमित कर दी जाती है। यही कारण है कि पिथौरागढ़ में महिलाओं की वास्तविक निर्णय लेने की सहभागिता का प्रतिशत मात्र 42.26 पर सिमट गया है। न्यादर्श जनपद बागेश्वर की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि बागेश्वर जनपद 47.56 प्रतिशत की सहभागिता दर के साथ इन दोनों जनपदों के मध्य में स्थित है। यह प्रतिशत दर्शाता है कि इस जनपद के ग्रामीण समाज में महिलाएं धीरे–धीरे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपनी जगह बना रही हैं और वे आगे बढ़ रही हैं। हालांकि, इस सकारात्मक बदलाव के बावजूद एक बड़ा हिस्सा आज भी खुद स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की स्थिति से दूर है।

संपूर्ण न्यादर्श जनपदों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता का कुल 47.41 प्रतिशत ही प्राप्त होता है। शोध के दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य निष्कर्ष है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि आज के आधुनिक समय में भी अध्ययन क्षेत्र में 52.59 प्रतिशत परिवारों में मुख्य निर्णय लेते समय महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल नहीं

किया जाता है। यह निष्कर्ष उत्तराखण्ड के पर्वतीय संदर्भों में मेहता (2018) तथा ममगाईं (2026) के उन अध्ययनों की पुष्टि करता है, जिन्में यह रेखांकित किया गया है कि महिलाओं की उच्च श्रम सहभागिता के बावजूद अंतिम व मुख्य पारिवारिक निर्णयों में उनकी स्वायत्तता अब भी सीमित बनी हुई है।[16]

4.7 न्यादर्श परिवारों में महिलाओं के उत्पीड़न/प्रताड़ना की स्थिति

न्यादर्श परिवारों में महिलाओं के उत्पीड़न एवं प्रताड़ना की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और मानसिक गरिमा का वास्तविक धरातल क्या है? न्यादर्श जनपद पिथौरागढ़ की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे अत्यंत सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में उत्पीड़न का यह आंकड़ा सर्वाधिक 62.88 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक और गंभीर है। भौगोलिक सुदूरता, विधिक व कानूनी जागरूकता के साधनों की कमी और गहरे पितृसत्तात्मक दबाव के कारण पिथौरागढ़ की आधी से अधिक (लगभग 63 प्रतिशत) महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इस गंभीर स्थिति की पुष्टि जीन ड्रेज और अमर्त्य सेन (2002) के शोध से भी होती है। उनके अनुसार, केवल बाह्य–प्रवासन या आंशिक आर्थिक भूमिका बढ़ने से महिलाओं का सामाजिक उत्पीडन कम नहीं होता बल्कि भौगोलिक सुदूरता, कानूनी जागरूकता की कमी और गहरा पितृसत्तात्मक दबाव ही उन्हें इस पारंपरिक शोषण का शिकार बनाए रखता है।[17]

न्यादर्श जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में यह प्रतिशत क्रमशः 56 प्रतिशत और 54.87 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इन दोनों जनपदों में महिला उत्तरदाता किसी न किसी स्तर पर उत्पीड़न अथवा मानसिक–शारीरिक प्रताड़ना का सामना कर रही हैं, जो उनके समग्र विकास की एक बड़ी सामाजिक बाधा को दर्शाता है।

संपूर्ण न्यादर्श का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 57.75 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ यह है कि कुल 329 में से 190 महिलाओं ने तमाम सामाजिक बंदिशों, पारंपरिक सीमाओं और डर के बावजूद, किसी न किसी रूप में उत्पीड/प्रताड़ना का शिकार होने की बात में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

4.8 न्यादर्श परिवार की महिलाओं के कार्य निर्धारण और उनके समय पर परिवार के अन्य सदस्यों के नियंत्रण की स्थिति

न्यादर्श परिवार की महिलाओं के कार्य निर्धारण और उनके समय पर परिवार के अन्य सदस्यों के नियंत्रण की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण पारिवारिक संरचना में महिलाओं को अपने दैनिक समय–नियोजन में कितनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है। न्यादर्श जनपदों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कार्य और समय पर अन्य सदस्यों का यह नियंत्रण अल्मोड़ा जनपद में सर्वाधिक 25.33 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसके बाद क्रमशः बागेश्वर जनपद 23.17 प्रतिशत पिथौरागढ़ जनपद 21.64 प्रतिशत है। तीनों न्यादर्श जनपदों में पिथौरागढ़ जनपद का प्रतिशत न्यूनतम है।

संपूर्ण न्यादर्श जनपदों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 23.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इसका सीधा अर्थ यह है कि कुल 329 में से 78 महिला उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके दैनिक कार्य निर्धारण और समय नियोजन पर परिवार के अन्य सदस्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रभावी रहता है।

4.9 न्यादर्श परिवार की महिला सदस्यों की बिमारी के प्रति पारिवारिक सदस्यों की तत्परता

एक स्वस्थ्य महिला ही सशक्तीकरण से जुड़ी हो सकती है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना आदि भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। स्वास्थ्य मोर्चे पर महिलाओं ने बेहतरी हासिल की है और महिलाओं

की औसत आयु जहां 1950–51 में 31.7 वर्ष थी, वहीं 2016 में यह बढ़कर 70 साल हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घर के बजाय अस्पताल में बच्चों को जन्म दे रही हैं। 2014–15 में इस संबंध में आंकड़ा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर यानि 79 फीसदी पर पहुंच गया। यह बच्चा और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर है। 2001–03 और 2011–13 के दशक के दौरान मातृत्व मृत्यु दर घटकर आधी हो गई।[18] न्यादर्श परिवार की महिला सदस्यों की बीमारी के प्रति पारिवारिक सदस्यों की तत्परता की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के समय महिलाओं को परिवार से कितना तात्कालिक सहयोग और संवेदनशीलता प्राप्त होती है। इस संकेतक के व्यावहारिक धरातल और फील्ड सर्वे के अनुभवों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आया है कि सामान्यतः ग्रामीण महिलाएं अपनी बीमारियों और शारीरिक कष्टों को दबाने या छुपाने का प्रयास करती हैं।

अल्मोडा जनपद का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जनपद अल्मोड़ा में महिला की बीमारी पर परिवार द्वारा तुरंत ध्यान देने और तत्परता दिखाने की दर सर्वाधिक 57.33 प्रतिशत है। यह प्रतिशत दर्शाता है कि अल्मोड़ा के आधे से अधिक ग्रामीण परिवारों में महिला सदस्य के बीमार होने पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए त्वरित कदम उठाए जाते हैं। न्यादर्श जनपद पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में यह प्रतिशत क्रमशः 25.77 और 28.04 है, जो कि महिला स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक उदासीनता की अत्यंत चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये निम्न आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इन दोनों जनपदों के ग्रामीण परिवारों में महिला स्वास्थ्य को लेकर व्यावहारिक संवेदनशीलता और सजगता का भारी अभाव है। यहाँ मुख्य समस्या बुनियादी चिकित्सा केंद्रों की दूरी की नहीं, बल्कि पारिवारिक सदस्यों की मानसिक तत्परता की है। परिवार के सदस्यों में चेतना और जागरूकता की कमी के कारण वे महिला सदस्यों की शुरुआती बीमारियों या कष्टों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उन्हें सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक उपेक्षित और उदासीन रवैया दिखाई देता है।

संपूर्ण न्यादर्श क्षेत्र का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 40.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इसका सीधा अर्थ यह है कि कुल 329 में से केवल 134 ग्रामीण महिलाओं ने ही बीमार होने पर अपने परिवार के सदस्यों द्वारा तुरंत तत्परता या सक्रियता दिखाने की बात को स्वीकार किया है। इसके विपरीत, शेष 59.28 प्रतिशत (195 महिलाएं) आज भी बीमारी के समय इस तात्कालिक पारिवारिक संवेदनशीलता और सजगता से वंचित हैं, जो ग्रामीण पर्वतीय समाजों में महिला स्वास्थ्य के प्रति एक गंभीर उपेक्षा को प्रमाणित करता है।

4.10 न्यादर्श परिवार की महिलाओं का इलाज कहां कराया जाता है

न्यादर्श परिवार की महिलाओं के इलाज और चिकित्सा के माध्यम की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि बीमार होने पर ग्रामीण परिवारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के किस तंत्र पर सबसे अधिक निर्भरता दिखाई जाती है। क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ो के अनुसार, चिकित्सा के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का चयन करने के मामले में अल्मोड़ा जनपद में सर्वाधिक 86.00 प्रतिशत लोग सरकारी सेवाओं का सहारा लेते हैं, जिसके बाद क्रमशः बागेश्वर 85.36 प्रतिशत और पिथौरागढ़ 81.44 प्रतिशत का स्थान आता है। तीनों जनपदों में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर यह अत्यधिक निर्भरता प्रो. राधिका बरुआ (2006) के निष्कर्षों की पुष्टि करती है। उनके अनुसार, पहाड़ी और सुदूर ग्रामीण अंचलों में निजी चिकित्सा सुविधाओं की अनुपस्थिति, ढांचागत बाधाओं और भौगोलिक विकटता के कारण ग्रामीण आबादी पूरी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ही आश्रित होती है।[19]

न्यादर्श जनपद अल्मोड़ा सरकारी अस्पतालों का सर्वाधिक प्रतिशत होने का मुख्य कारण जनपद में न केवल जिला अस्पताल की बेहतर सेवाएँ हैं, बल्कि यहाँ हाल ही में स्थापित शोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान (अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज) और उससे गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल को संबद्ध किया गया है। संचालित हो चुका है। इन उच्च–स्तरीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों,

आधुनिक जाँच उपकरणों और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता के कारण बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर विश्वास और निर्भरता प्रकट करती है। बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों की तुलनात्मक स्थिति को तालिका संख्या से स्पष्ट होता है कि जनपद बागेश्वर में भी महिलाओं के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर उच्च निर्भरता पायी जाती है, जहां लगभग 85.36 प्रतिशत लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सहारा लेते हैं। इसके विपरीत, अत्यंत सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में यह घटकर 81.44 प्रतिशत रह जाता है, जो यह दर्शाता है कि बागेश्वर और अल्मोड़ा की तुलना में पिथौरागढ़ के ग्रामीण लोग सरकारी सेवाओं का उपयोग अपेक्षाकृत कम करते हैं।

संपूर्ण न्यादर्श क्षेत्र का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि चिकित्या के माध्यम के रूप में कुल 84.49 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं सरकारी अस्पताल का उपयोग करती हैं, जबकि शेष मात्र 15.51 प्रतिशत महिलाएं निजी चिकित्सालयों का उपयोग करती हैं।

5.0 निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुमाऊँ के चयनित पर्वतीय जिलों ''अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर'' में महिलाएँ कृषि, पशुपालन, घरेलू कार्य तथा अन्य आजीविका गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 329 परिवारों के अध्ययन में ''79.93 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू आवश्यकताओं पर व्यय करने की आर्थिक स्वतंत्रता'' व्यक्त की, जबकि पारिवारिक निर्णय–निर्माण में केवल ''48.02 प्रतिशत महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी'' पाई गई। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की आर्थिक भूमिका व्यापक होने के बावजूद महत्वपूर्ण पारिवारिक एवं आर्थिक निर्णयों में उनकी सहभागिता अभी भी सीमित है। पिथौरागढ़ में आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर अपेक्षाकृत कम (71.13 प्रतिशत) पाया गया, जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

अध्ययन के आधार पर महिलाओं की ''आय, बचत, संपत्ति एवं आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण'' बढ़ाने के साथ कृषि–प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन एवं स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, कौशल प्रशिक्षण एवं बाजार से जोड़ा जाए तथा भूमि एवं अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में उनका स्वामित्व/सह–स्वामित्व बढ़ाया जाए। साथ ही परिवार एवं समुदाय स्तर पर ''साझा निर्णय–निर्माण और लैंगिक समानता'' को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि महिलाओं का श्रम केवल आर्थिक योगदान तक सीमित न रहकर वास्तविक ''आर्थिक स्वायत्तता एवं सशक्तीकरण'' में परिवर्तित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
2. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change, 30*(3), 437
3. -do-, p. 438
4. Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature, 50*(4), 1051–1079.
5. Ghosh, J. (2009). *Never done and poorly paid: Women's work in globalising India*. Women Unlimited.

6. Jain, D. (1996). Valuing work: Time as measure. *Economic and Political Weekly, 31*(2), 11–14.
7. Agarwal, B. (1994). *A field of one's own: Gender and land rights in South Asia*. Cambridge University Press.
8. Gopinath, G. (2014). Gender equality and macroeconomic efficiency. *IMF Working Papers, 2014*(45), 1–34.
9. Mamgain, R. P., & Reddy, D. N. (2015). Out-migration from Hill Region of Uttarakhand: Issues and Policy Options. *Journal of Rural Development*, *34*(1), p. 74.
10. -do-
11. Mamgain, R. P. (2024). Growth, Poverty, and Gendered Employment Dynamics in Uttarakhand Hills. Giri Institute of Development Studies (GIDS) Working Paper Series, No. 216, pp. 1-38.
12. Mamgain, R. P. (2007). Listed in IHD Series. (2010). Growth, Poverty and Employment in Uttarakhand. Institute for Human Development (IHD) Working Paper Series, No. 39, pp. 1-52.
13. मिश्रा एवं पटनायक. (2021). 'वित्तीय समावेशन और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम–48, अंक–6, पृष्ठ संख्या 124
14. Mehta, G. S. (1999). Development of Uttarakhand: Issues and Perspectives. Giri Institute of Development Studies (GIDS), New Delhi. APH Publishing Corporation, pp. 45.
15. Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Development and Change; Volume 30, Issue 03, pp. 443.
16. Dangwal, S., Mamgain, R.P.& Doundiyal, S. (2026). Mountains of Labour, Currents of Change: Women's Livelihoods and Economic Transitions in the Indian Himalayan Region and Uttarakhand; Academic Foundation, New Delhi, p.p.-102.
17. Drèze, J., & Sen, A. (2002). India: Development and Participation. Oxford University Press, New Delhi/ Oxford; pp. 258.
18. मेनका संजय गांधी (अक्टूबर 2018); महिलाओं के नेतृत्व में विकास से राष्ट्र का सशक्तीकरण. योजना मासिक पत्रिका, पृष्ठ 8–9
19. Baru, R. V. (2006). Access to Health Services in Rural India: Structural and Cultural Barriers. Social Change; Volume- 36, Issue-02, pp. 55–68.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*